

Form No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नोखा

भंवरी पत्नी शेरसिंह जाति राजपूत निवासी धरनोक तहसील नोखा जिला बीकानेर

बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर | 61/2019 U/S 136 RLRA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.12.2019	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री टीकमसिंह राठौड़ ने प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया भंवरी पत्नी शेरसिंह का नाम सभी दस्तावेजात में भंवरी पत्नी शेरसिंह अंकित है जबकि वाके रोही धरनोक के नया खाता सं. 529 पुराना 461 के खेत खसरा नम्बर 21577/107 रकबा 12.64 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम हवा कंवर पत्नी शेरसिंह अंकित है। जिसे दुरुस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्यहित प्रभावित नहीं हो रहा है।</p> <p>हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही धरनोक के नया खाता सं. 529 पुराना 461 के खेत खसरा नम्बर 1577/107 रकबा 12.64 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया हवा कंवर पत्नी शेरसिंह के स्थान पर भंवरी पत्नी शेरसिंह दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।</p>	


(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

Scanned with CamScanner

